प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

"Refresher Course for Police Inspectors"

दिनांक 10-04-2017 से 15-04-2017

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

Sitting Row L to R = Brijesh Kumar, Nathu Singh, Ranveer Singh, Rajesh Sharma IPS(Dy Drector), **Rajeev Dasot, IPS (Addl DGP Cum Director)**, Rajendra Singh Shekhawat Dy.S.P, Beena Singh, Mahesh Chand, Sunil Kumar Jhajharia

Ist Row L to R = Kamal Kishore Suthar, Tejaram Patel, Kalu Ram Verma, Kailash Dan, Suresh Dabariya, Ajit Meghwanshi, Kailash Chandra Gurjar, Balveer Singh, Nand Kishore, Ramveer Jakhar, Pramod Kumar Pandey, Raju Ram Choudhary

IInd Row L to R = Bhupendra Singh, Boraj Singh Bhati, Amlesh Kumar, Kishore Singh Bhati, Sarjit Singh, Sughad Singh, Ramesh Tiwari, Om Prakash Dayma, Shabbir Khan, Sapat Khan, Labhu Ram, Murari Lal Meena

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 10-04-2017 से 15-04-2017 तक **"Refresher Course for Police Inspectors"** विषय पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अकादमी के निदेशक श्री राजीव दासोत, आई॰पी॰एस॰ अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के निर्देशन में प्रबुद्ध वक्ताओं को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से कुल 30 पुलिस निरीक्षकों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री मिलिन्द अग्रवाल, साईबर एक्सपर्ट, इन्टरनेट-धोखाधड़ी, साईबर अपराध, साईबर अपराधों का अनुसंधान एवं साईबर फोरेंसिक का परिचय देते हुए इनके कारण, कार्यप्रणाली और समाधान पर संगठित अपराधों के अनुसंधान में सैल फोन, इन्टरनेट, सी.डी.आर. विश्लेषण एवं कम्प्यूटर का किस प्रकार बेहतरीन उपयोग किया जा सकता है, इस पर विस्तृत व्याख्यान दिया। अगले सत्र में श्री

दिलीप सैनी, सहायक निदेशक (स्पेशल कोर्स एवं सी.ओ.ई.) आर्थिक अपराध, प्रकार एवं सामान्य परिदृश्य, गृह निर्माण सहकारी समितियों व आवासीय योजनाओं द्वारा धोखाधड़ी, शेयर बाजार एवं एन.बी.एफ. कम्पनियों द्वारा धोखाधड़ी पर विस्तृत व्याख्यान दिया। प्रथम दिन के तृतीय सत्र में श्री शेखर सिंह, फाइनेंशियल क्राईम इन्वेस्टिगेटर ने क्रेडिट कार्ड एवं बैंक धोखाधड़ी, केस स्टडीज के माध्यम से बैंक से सम्बन्धित साईबर अपराधों में साक्ष्यों का संकलन किस प्रकार किया जावे के संबंधों पर विस्तृत व्याख्यान देते हुए केस स्टडीज के माध्यम से उनसे निपटने के संबंध में विस्तृत रूप से बताया। प्रथम दिन के अन्तिम सत्र में श्री राजेन्द्र सिंह, पु.नि. ने एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत आज्ञापक प्रावधान एवं अनुसंधान की प्रक्रिया पर विस्तृत रूप से बताया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन प्रथम सत्र में श्री महेश, उ.नि. ने आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013, नवीनतम संशोधन भा.द.सं., द.प्र.सं., साक्ष्य अधिनियम के संबंध में विस्तृत रूप से बताया। द्वितीय सत्र में श्री आलोक कुमार, पु.नि. ने किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं बाल श्रम एवं बाल तस्करी एवं पुलिस की भूमिका के सम्बन्ध में अपना व्याख्यान दिया। तृतीय एवं अन्तिम सत्र में डॉ. महेन्द्र पीपलीवाल, ए.डी.पी. महत्वपूर्ण कोर्ट रूलिंग (सर्वोच्च/उच्च न्यायालय) से सम्बन्धित एवं केस स्टडीज के माध्यम से एवं निर्णयों के बारे में विस्तृत रूप से बताया।

तीसरे दिन के प्रथम सत्र में श्री देवकरण आचार्य, पु.नि., ने पुलिस के सामाजिक दायित्व (पुलिस एक्ट की धारा 30) वरिष्ठ नागरिक एवं माता-पिता की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम, संबल योजना विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। द्वितीय सत्र में श्री कप्तान सिंह, पु.नि. ने प्रेरणा सिद्धान्त एवं नेतृत्व पहलू (Motivation theory and leadership aspect) विषय पर विस्तृत रूप से बताया। तृतीय सत्र में श्री राजेन्द्र कुमार, उ.पु.अ. (सेवानिवृत) ने वर्तमान में आतंकवाद का खतरा एवं वी.वी.आई.पी. सुरक्षा के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। एवं अन्तिम सत्र में श्री राजेन्द्र सिंह, पु.नि. ने संगठित अपराधों की रोकथाम एवं आभ्यासिक अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही के कानूनी प्रावधान एवं निरोधात्मक कार्यवाहियां (Cr.P.C., N.S.A., Raj. PASA Act-2006, H.O. Act-1953) राज गुण्डा एक्ट, आर.पी.आर. 1965 एवं स्थानीय अधिनियम पर विस्तृत रूप से बताया।

चौथे दिन प्रथम सत्र श्री रण्वीर सिंह, पु.नि. ने पुलिस कार्यो में जनसहयोग, सी.एल.जी. की भूमिका, बीट प्रभारी की भूमिका के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। द्वितीय एवं तृतीय सत्र श्री आर.एस. शर्मा, अति. निदेशक, एफ.एस.एल. (सेवानिवृत) ने अपराध अनुसंधान में वैज्ञानिक सहायता, विशेषत: डी.एन.ए. परीक्षण, प्रादर्शों का परीक्षण,

सील मुहर कर राय प्राप्त करने में ध्यान रखने योग्य बाते एवं विधि विज्ञान की सहायता कब कैसे ली जाएगी, विभिन्न घटनास्थलों से साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया एवं विशेषज्ञ से राय प्राप्त करने हेतु अग्रेषण पत्र का प्रारूप के बारे में अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। अंतिम सत्र में श्रीमती अनुकृति उज्जैनिया, सहायक निदेशक (सी.डी.पी.एस.एम.) ने महिलाओं के विरूद्ध अपराध- दहेज मृत्यु, हमला एवं बलात्कार एवं पोक्सो अधिनियम 2012 तथा इन अपराधों के अनुसंधान में ध्यान रखने योग्य बातें, विशेष प्रक्रिया एवं साक्ष्य अधिनियम में इन अपराधों से संबंधित उपधारणाऐं एवं विशेष प्रावधान के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तिम दिन प्रथम सत्र में श्री राजेन्द्र सिंह, उ.पु.अ., आरपीए ने अनुसंधान प्रक्रिया में मुख्य ध्यान देने योग्य बातें एवं अच्छे अनुसंधानकर्ता के गुण के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। अन्तिम सत्र में श्रीमती पूनम, उ.नि. आर.पी.ए. ने प्रतिवेदन लेखन (Report writing, communication skills, Positive attitude and team building) का पुलिस कार्यप्रणाली में उपयोग के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में प्रतिभागी श्री कैलाश दान, पुलिस निरीक्षक एवं श्री रामकिशन, पुलिस निरीक्षक ने साईबर अपराध के संबंध में अधिक कालांश बढाने हेतु निवेदन किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह दिनांक 15.04.2017 को 01:40 पी.एम. पर कॉन्फ्रेंस हॉल नं. 04 में आयोजित किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि श्री राजीव दासोत, आई.पी.एस., अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक, आर.पी.ए. के उद्बोधन के पश्चात् प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किये गये।

भवदीय,

राजेन्द्र सिंह
उप अधीक्षक पुलिस
कोर्स डायरेक्टर
आर.पी.ए., जयपुर